



महाराष्ट्र शासन
सांस्कृतिक कार्य विभाग,

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी



पुराना जकातघर, विकास विभाग इमारत, तिसरी मंजिल, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई - ४०० ००९



: mhsahityaacademy@gmail.com



: ०२२ - २२६७२५३९

www.mahasahitya.org



Maha Sahitya

वर्ष २०२५-२६ वर्ष के लिए पुरस्कार योजना, पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना और ग्रंथालय अनुदान योजना हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष २०२५-२६ इस वर्ष के लिए दिए जानेवाले कवि नर्मद मराठी / गुजराती साहित्य पुरस्कार, साहित्य / कला / पत्रकारिता / संस्था जीवनगौरव पुरस्कार, साहित्य / वाङ्मय पुरस्कार, पुस्तक प्रकाशन और ग्रंथालय अनुदान के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जा रही हैं।

महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष स्थायी निवासी रचनाकार उपरोक्त पुरस्कार और पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के लिए प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं। प्रविष्टियाँ मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, तिसरी मंजिल, पुराना जकातघर, विकास विभाग इमारत, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई - ४०० ००९ इस पते पर दिनांक ०५ मार्च, २०२६ को शाम ५.३० बजे तक स्वीकार की जायेंगी। उपर्युक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम, आवेदन पत्र www.maharashtra.gov.in और www.mahasahitya.org इस संकेतस्थल पर नवीनतम संदेश में उपलब्ध है।

नियम और शर्तें

वर्ष २०२५-२६ के वाङ्मय पुरस्कार के लिए वर्ष २०२२ से २०२४ के बीच प्रकाशित कृतियाँ स्वीकार की जायेंगी।

लेखक एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते हैं। परंतु, किसी एक ही कृति को पुरस्कार देय होगा। पुरस्कार प्राप्त करने पर लेखक आगामी तीन वर्ष तक उस श्रेणी में पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ नहीं दे सकेंगे। डी लिट, पीएचडी, एम फिल के शोध प्रबंध, संपादित संकलन तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र, जीवनवृत्त, कृतिपुस्तक की तीन प्रतियाँ, लेखक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष निवास का (डोमेसाईल) प्रमाणपत्र, आधार कार्ड / पैन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति/रद्द किया हुआ धनादेश के साथ प्रविष्टियाँ दिनांक ०५ मार्च, २०२६ को शाम ५.३० बजे तक स्वीकार की जाएँगी। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sd/-

दि. ०४/०२/२०२६

सदस्य सचिव

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी



महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी

पुराना जकातघर, विकास विभाग इमारत, तिसरी मंजिल, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई - ४०० ००१

: mhsahityaacademy@gmail.com : ०२२ - २२६७२५३९ : www.mahasahitya.org Maha Sahitya

अ) पुरस्कार योजना

इस योजनाके अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाते हैं ।

अ.क्र.	पुरस्कारों के नाम	साहित्य प्रकार	पुरस्कार राशी
नर्मद पुरस्कार			
१	कवी नर्मद मराठी साहित्य पुरस्कार		रु. १,००,०००/-
२	कवी नर्मद गुजराती साहित्य पुरस्कार		रु. १,००,०००/-
जीवन गौरव पुरस्कार			
१	साहित्य		रु. १,००,०००/-
२	कला		रु. १,००,०००/-
३	पत्रकारीता		रु. १,००,०००/-
४	संस्था		रु. १,००,०००/-
वाङ्मय पुरस्कार			
१	चुनीलाल मडिया पुरस्कार	नवल कथा	प्रथम - रु. ३०,००० द्वितीय - रु. २०,०००/-
२	रामनारायण पाठक पुरस्कार	लघुकथा	प्रथम - रु. ३०,००० द्वितीय - रु. २०,०००/-
३	हरिश्चंद्र भट्ट पुरस्कार	कविता	प्रथम- रु. ३०,०००/- द्वितीय-रु. २०,०००/-
४	प्रबोध जोशी पुरस्कार	नाटक	प्रथम-रु. ३०,०००/- द्वितीय - रु. २०,०००/-
५	वाडीलाल डगली पुरस्कार	ललित निबंध	प्रथम - रु. ३०,०००/- द्वितीय- रु. २०,०००/-
६	प्रागजी डोसा पुरस्कार	बाल साहित्य	प्रथम - रु. ३०,०००/- द्वितीय- रु. २०,०००/-
७	यशवंत दोशी पुरस्कार	नवोदित लेखक	प्रथम - रु. ३०,०००/- द्वितीय- रु. २०,०००/-
८	गोपाळराव विद्ववांस पुरस्कार	अनुवाद	प्रथम - रु. ३०,०००/- द्वितीय- रु. २०,०००/-
९	गुलाबदास ब्रोकर पुरस्कार	प्रकिर्ण (समीक्षा)	प्रथम - रु. ३०,०००/- द्वितीय- रु. २०,०००/-

पुरस्कार योजना के लिए योग्यता-

अ) जीवन गौरव पुरस्कार-

१. गुजराती साहित्यजगत में प्रदीर्घ समय से गुजराती भाषा के विकास-उत्थान के लिए जिनका विशेष योगदान रहा हो. ऐसे वरिष्ठ साहित्यिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गुजराती भाषा में दर्जा पूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना करनेवाले लेखक / साहित्यकार इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
२. उत्कृष्ट साहित्यों की निर्मिती करनेवाले साहित्यिक, कलाकार, पत्रकार व संस्था इन पुरस्कारों के लिए पात्र है।
३. पुरस्कारार्थी का साहित्यिक क्षेत्र में कर्तृत्व / जेष्ठता सिद्ध होनी चाहिए।
४. राज्यस्तरीय सन्मान जीवनगौरव पुरस्कार के लिए गुजराती साहित्यकी चुनाव करते समय साहित्यकार का कम से कम १५ वर्षे महाराष्ट्र राज्य में निवास होना चाहिए।

ब) वाङ्मय पुरस्कार-

- १) प्रति वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर के दरम्यान प्रकाशित होनेवाली मूल साहित्यकृतीयों का इस अंतर्गत विचार किया जाएगा।
- २) इस अंतर्गत (लघुकथा, नवलकथा, कविता, नाटक, ललित साहित्य, बालसाहित्य, अनुवाद, नवोदित साहित्य, इन प्रकारों का विचार किया जाएगा।
- ३) वाङ्मय पुरस्कार के लिए गुजराती साहित्यों के पुस्तकों की चुनाव करते समय साहित्यिक महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्षे का निवास होना आवश्यक है ।

जीवन गौरव तथा वाङ्मय पुरस्कार योजना के नियम :

- पुरस्कारार्थी का गुजराती साहित्यक्षेत्र में कर्तृत्व वादातीत होना आवश्यक है।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है ।
- वाङ्मय पुरस्कारके लिए **गत ३ वर्ष के** बीच प्रकाशित कृतियां स्वीकार की जायेंगी।
- लेखक एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते हैं। परंतु, किसी एक वर्ष में एक ही कृतिको पुरस्कार देय होगा।
- पुरस्कार प्राप्त करने पर लेखक आगामी दो वर्ष तक उस श्रेणी में पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां नहीं दे सकेंगे।
- साहित्यकारों के अलावा संस्था, पत्रकार या अन्य मान्यवरोंके द्वारा प्राप्त प्रविष्टियां भी विचारधीन होंगी।
- डी लिट, पीएचडी, एम फिल के शोध प्रबंध, संपादित संकलन तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होंगे।

- आवेदन पत्र, जीवनवृत्त, कृती/पुस्तक की तीन प्रतियां, लेखक का एक पासपोर्ट आकारका फोटो, महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष के निवास का प्रमाणपत्र, आधारकार्ड / पैन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किए हुए धनादेश के साथ प्रविष्टियां स्वीकार की जाएगी ।
- अंतिम तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के सन २०२५-२६ के

पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई

विषय : ----- पुरस्कार के लिए प्रविष्टि.

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक: ०४/०२/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी की पुरस्कार योजनांतर्गत मैं अपनी प्रकाशित कृति की ३ प्रतियां संलग्न प्रेषित कर रहा हूँ। एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. शीर्षक : -----
२. विधा प्रकार : -----
३. प्रकाशन अवधि : -----

४. अनुवाद के लिए आवेदन पत्र किया है तो इसके पहले प्रकाशित दो कृतियों के नाम :

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पुस्तक में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे इस पुस्तक के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैंने पुरस्कार सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम : -----)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पुस्तक की तीन प्रतियां (३ प्रतियां)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड / पैन कार्ड की छायाप्रति.
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.

जीवनवृत्त

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम : -----
२. जन्म तिथि : -----
३. सम्पूर्ण पत्ता : -----

४. ई-मेल : -----
५. फोन/ मो.नं. : -----
६. व्यवसाय : -----
७. शैक्षणिक अर्हता : -----
८. प्रकाशित साहित्य : -----
- (सूची अलग से जोड़ सकते हैं) :-----
९. अबतक प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :-----
(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)
१०. अन्य उपलब्धियां :-----

(नाम : -----)

ब) पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना :

योजना का उद्देश्य :

गुजराती भाषा में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देना तथा गुजराती साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और साहित्य सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना का स्वरूप, पात्रता, नियम :

- साहित्यकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णतः विवरण आवेदनपत्र के साथ साहित्यकृति की २ प्रतियां स्वच्छ हस्तलिखित/ टंकणित रूप में भेजना आवश्यक है।
- साहित्यकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित अंदाज खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- चुनी हुई हस्तलिखित साहित्यकृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन संस्थाद्वारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी। प्रकाशन की अवधि प्रकाशन संस्थाद्वारा प्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में आवश्यक है।
- साहित्यकृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियां विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित संदेश गुजराती भाषा में प्रकाशित करना अनिवार्य है।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के ' पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना ' के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से किया गया है।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यकृति को एकबार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे गुजराती साहित्यकार पात्र होंगे। (१५ साल का अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है।) और उनकी १ पुस्तक को अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- शासन की इस योजनांतर्गत एक बार लाभ मिलने पर साहित्यकार को अगले ५ साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजनांतर्गत प्रकाशित होनेवाली किताब को किसी भी निजी संस्था, राज्यशासन और केंद्र सरकार का कोई भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह अनुदान केवल मूल (Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा। पुनःमुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा।

- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपी वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखित साहित्य प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे ।
कविता, नवलकथा, लघुकथा, नाटक/ एकांकिका, ललित और बाल साहित्य आदि।

अनुदान का स्वरूप :

- अकादमी की समितिद्वारा जिस साहित्यकृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्यकृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकार द्वारा जोड़े हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित खर्च की ५०% राशि अथवा रु. २०,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी वह राशि अनुदान के स्वरूप में प्रदान की जाएगी ।

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के सन २०२५-२६ के पुस्तक प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई

विषय : पुस्तक प्रकाशन अनुदान के लिए प्रविष्टि

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक : ०४/०२/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी की पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजनांतर्गत मैं अपनी हस्तलिखित कृति की २ प्रतियां संलग्न प्रेषित कर रहा/रही हूँ, एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. शीर्षक : -----
२. विधा प्रकार : -----
३. इसके पहले प्रकाशित दो कृतियों के नाम : -----

मैं यह प्रमाणित करता/ करती हूँ कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पांडुलिपि में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की मुझे इस पांडुलिपि के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैंने पुस्तक प्रकाशन अनुदान सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम : -----)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पांडुलिपि की दो प्रतियां (२ प्रतियां)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल)की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड / पैन कार्ड की छायाप्रति .
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
६. पुस्तक प्रकाशन खर्च अंदाजपत्रक (Estimate)

जीवनवृत्त

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम :-----
२. जन्म तिथि :-----
३. सम्पूर्ण पत्ता :-----

४. ई-मेल :-----
५. फोन/ मो.नं. :-----
६. व्यवसाय :-----
७. शैक्षणिक अर्हता :-----
८. प्रकाशित साहित्य :-----
- (सूची अलग से जोड़ सकते हैं) -----
९. अन्य उपलब्धियां :-----

(नाम :-----)

क) ग्रंथालय अनुदान योजना :

योजना का उद्दिष्ट :

गुजराती पुस्तकें और साहित्य के माध्यम द्वारा ही गुजराती साहित्य का प्रचार और प्रसार होने की संभावना अधिक मात्रा में होने के कारण ग्रंथालयों को गुजराती किताबें खरेदी करने के लिए इस योजनांतर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है।

योजना स्वरूप, पात्रता नियम :

- ग्रंथालयोंद्वारा गुजराती भाषा की पुस्तकें खरेदी करने लिए पुस्तकों की सुची मँगवायी जाएगी।
- पुस्तकोंकी सुची में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, साहित्य प्रकार, प्रकाशन संस्था का नाम, प्रकाशन वर्ष, और पुस्तक की किंमत आदि. विवरण जोड़ना आवश्यक है।
- यह अनुदान ग्रंथालयों को केवल गुजराती भाषा के पुस्तकें खरीदी करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत पुस्तकें खरेदी करने के लिए नवलकथा, कविता, नाटक, निबंध, ललितकथा, विवेचन, चिंतन, साहित्यिक संपादन, अदि साहित्य प्रकार का समावेश आवश्यक है किंतु साहित्येत्तर पुस्तकें जैसे: पाककृती, वैद्यकिय, अथवा शालेय पाठयक्रम, औद्योगिक क्षेत्रसे जुड़े किताबों की खरेदी के लिए अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
- अनुदान से खरीदी किताब के पहले और अंतिम पन्नेपर निम्नलिखित मजकूर गुजराती भाषा में रबर स्टैम्प से छपवाना अनिवार्य है।

**यह किताब महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के ग्रंथालय अनुदान योजना
के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से खरेदी कि गई है।**

- जिन ग्रंथालयों को पुस्तक खरीदी करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ हो, उस संस्थाओं ने पुस्तकें खरीदी करने के बाद देयकों की झेरोक्स प्रतियां सनदी लेखापाल के स्वाक्षरी और स्टैम्प सहीत अकादमी कार्यालयको जमा करने के उपरांतही उन ग्रंथालयों को अगले साल के लिए अनुदान की माँग की जा सकेगी।
- पंजीकृत संस्थाद्वारा संचालित मुफ्त सेवा प्रदान करनेवाले ग्रंथालय कोही इस योजनाका लाभ मिलेगा।
- निजी अथवा व्यावसायिक तत्व पर चलनेवाले ग्रंथालयों को इस योजनाका लाभ नहीं मिलेगा।

अनुदान का स्वरूप :

- हर साल रु. २०,०००/- से रु. २५,०००/- तक मुल्य के किताबों की खरीदी के लिए यह अनुदान राशी प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के सन २०२५-२६ के ग्रंथालय अनुदान हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई

विषय : ग्रंथालय अनुदान के लिए प्रविष्टि

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक ०४/०२/२०२६

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी की ग्रंथालय अनुदान योजनांतर्गत मैं / हमारी संस्था इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्ताव संलग्न प्रेषित कर रहा / रही हूँ। एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. ग्रंथालय का नाम :-----

२. ग्रंथालय का स्थापना वर्ष :-----

३. संस्था का नाम :-----

(जिसके द्वारा ग्रंथालय चलाया जा रहा है)

४. ग्रंथपाल का नाम :-----

५. ग्रंथालय सदस्य संख्या/वाचक संख्या :-----

६. सम्पूर्ण पत्ता :-----

७. ई-मेल :-----

८. फोन / मो.नं.:-----

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि -

१. मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि यह ग्रंथालय १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत है।

२. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ की मुझे इस ग्रंथालय को अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

३. मैंने ग्रंथालय अनुदान सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ / करती हूँ।

भवदीय,

(नाम:-----)

(रबर स्टैम्प)

संलग्न :-

१. ग्रंथालय का पंजीकृत प्रमाणपत्र.
२. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
३. पैन कार्ड की छायाप्रति.
४. पुस्तकों की सूची.